23.07.25 आज यह पत्रावली तहसीलदार भुसावर रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। इसमें वादिनी प्रार्थी को सुना गया उन्होंने इसमें वादिनी प्रार्थी को सुना गया उन्होंने इसमें वादिनी प्रार्थी को सुना गया उन्होंने अवगत कराया गया कि आ०ख०नं. 157 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा तथा ख०नं. 196 रकबा 2.22 है० वाके ग्राम अलीपुर अन्तर्गत मौजा के 1/4 हिस्से की प्रार्थीगण के पिता हाल जाटिये बनवाया दि० 19.01.1979 को खरीद किया गया था जिसका नामा० दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता की जाति जाटव के स्थान पर मीना दर्ज कर दी गई अतः इसे सुधार किया जावे।

इसमें प्रार्थीगण की आपत्ति की बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं रिपोर्ट तहसीलदार भुसावर का भली भांति अध्ययन किया गया जिसके आधार पर इस प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ०ख०नं. 196 रकबा 2.22 है० वाके ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर में प्रार्थीगण के पिता रामजी पुत्र चिरोंजी की जाति मीना को दुरुस्त कर उनके स्थान पर सही जाति जाटव दर्ज किया जावे। पत्रावली कैफियत मुकम्मल होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

राकेश चन्द्र मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०